20

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2924–दो/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 23–7–2015– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 271/2013–14 अपील

1– सुरेश प्रसाद पुत्र रामशिरोमणि तिवारी
2– श्रीमती मानवती पत्नि सुरेश प्रसाद तिवारी
निवासीगण ग्राम लोखरी तहसील अमरपाटन जिला सतना ----आवेदकगण

विरुद्ध

1– सुखलाल कुशवाह पुत्र रामा
निवासीगण ग्राम लोखरी तहसील अमरपाटन जिला सतना
2– म0प्र0शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक ताला
तहसील अमरपाटन जिला सतना ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सतेन्द्र सिंह परिहार)

(अनावेदक क–1 अभिभाषक श्री आर.डी.कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 01 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 271/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–7–2015 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम लोखरी की भूमि सर्वे कमांक 22/1 क/2 रकबा 0.04 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) शासकीय है जिस पर आवेदकगण ने बागढ़ लगाकर व गोवर इकटठा करके रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। फलतः तहसीलदार वृत्त ताला तहसील अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 448 अ–74/2012–13 पॅजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 18–9–13 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर से

बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 3/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-1-2014 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 271/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-2015 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। अनावेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 271/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-2015 के पालन में तहसीलदार वृत्त ताना तहसील अमरपाटन द्वारा प्रकरण क्रमांक 96 अ-74/14-15 में पारित आदेश दिनांक 2-8-2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम लोखरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 22/1 क/2 रकबा 0.04 हैक्टर पर आवेदकगण का अतिक्रमण हटाया जा चुका है एंव रास्ता खुलवा दिया गया है जिसके कारण निगरानी व्यर्थ है इसलिये निरस्त कर दी जावे।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 271/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-2015 के पालन में तहसीलदार वृत्त ताना तहसील अमरपाटन द्वारा प्रकरण क्रमांक 96 अ-74/14-15 में पारित आदेश दिनांक 2-8-2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय है एंव सार्वजनिक रास्ते के रूप में प्रयोग में है जिस पर आवेदकगण ने बागढ़ लगाकर व गोवर इकट्ठा करके रास्ते को अवरूद्ध किया था जिस पर से तहसीलदार वृत्त ताला तहसील अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 448 अ-74/2012-13 में जांच एंव सुनवाई

करके आदेश दिनांक 18-9-13 से बेदखली के आदेश दिये हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 3/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-1-2014 से एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 271/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-2015 से तहसीलदार वृत्त ताला के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्षो में समरूपता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 271/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-2015 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर